न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीजवा)

पीठासीन *अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

[illegible]	<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
[illegible] /18	08.02.2018	05.06.2018

उनवान

1. मंगतू पुत्र भम्बल जाति माली निवासी पूठका तहसील नगर जिला भतरपुर हाल काश्तकार ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.26 हैक्ट0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। उक्त आराजी वादी के नाना नत्थू पुत्र छीतर को इन्तकाल सं0 62 दिनांक 02.06.1975 को अलोट हुई थी जिसका जमाबन्दी सम्वत 2034 में राजस्व रिकार्ड में वादी के नाना के नाम गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका वादी के नाना नाऔलाद फौत हो गया जिसकी वारिस उसकी एक मात्र बहिन बुद्धो थी जो वादी की दादी थी। वादी की दादी के एक मात्र वारिस वादी का पिता भम्बल था जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा वादी अपने पिता का एक मात्र जीवित जायज वारिस है। वादी अपने नाना, दादी व पिता के फूट स्टेप पर उपरोक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने बुर्जुगान के समय से ही वादी का उपरोक्त आराजी पर बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में वादी के नाना नत्थु के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है। जिसकी एक बहिन बुद्धो थी जिसके एक पुत्र भम्बल पैदा हुआ तथा भम्बल के एक पुत्र वादी मंगतू पैदा हुआ। वादी के नाना की विरासत का आज तक इन्तकाल नही खुला है। तथा वादी अपने नाना की जायदाद का एक मात्र वारिस है। प्रार्थी के नाना, दादी व पिता का देहान्त हो चुका है और वादी को उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम प्राप्त करनी है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 ने वादी को खातेदारी देने से साफ इन्कार कर दिया है, जिससे वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा वादी के हक हकूक जायज होने का अंदेशा बना हुआ है। जबकि वादी का नाना को उक्त आराजी सन् 1975 में अलोटशुदा गैरखातेदार है

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

इसलिए वादी उक्त आराजी का मालिक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कराने का बमुजब अधिकारी है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी के नाना नत्थु पुत्र छीतर का नाम कलमजन किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी (पैरोकार सरकार) की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर बीजवा में दिनांक 05.06.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट / शिविर बीजवा में दिनांक 05.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम बीजवा के खाता सं0 377 पर नत्थु पुत्र छीतर माली सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरकरण पंजिका ग्राम बीजवा इन्तकाल सं0 62 दिनांक 02.06.1975 में उक्त आराजी का श्री नत्थु पुत्र छीतर माली बीजवा को गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड किया जाना स्वीकार है। जमाबन्दी(खतौनी) सम्वत 2034 ग्राम बीजवा खाता सं0 98 में नत्थु पुत्र छीतर माली सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे प्रतीत होता है कि वादी के नाना नत्थू पुत्र छीतर को इन्तकाल सं0 62 दिनांक 02.06.1975 को अलोट हुई थी जिसका जमाबन्दी सम्वत 2034 में राजस्व रिकार्ड में वादी के नाना के नाम गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका वादी के नाना नाऔलाद फौत हो गया जिसकी वारिस उसकी एक मात्र बहिन बुद्धो थी जो वादी की दादी थी। वादी की दादी के एक मात्र वारिस वादी का पिता भम्बल था जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा वादी अपने पिता का एक मात्र जीवित जायज वारिस है। वादी अपने नाना, दादी व पिता के फूट स्टेप पर उपरोक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने बुर्जुगान के समय से ही वादी का उपरोक्त आराजी पर बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के नाना को उक्त आराजी सन् 1975 में अलोट हो

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

गयी। इसलिए वादी उक्त आराजी का मालिक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कराने का कानूनन अधिकारी है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि वादी के नाना नत्थु पुत्र छीतर का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करें इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीजवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ

जिसकी माँ मृत्यु हो चुकी है तथा वादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
[illegible] लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीजवा)
पीठासीन अधिकारी :- *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

[illegible] [illegible]

<u>तारीख रजू</u>	तारीख निर्णय
08.02.2018	05.06.2018

उनवान

1. संतू पुत्र भम्बल जाति माली निवासी पूठका तहसील नगर जिला भतरपुर हाल काश्तकार ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 131 रकबा 0.26 हैक्ट0 जिसका साबिक खसरा नम्बर 116 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम बीजवा तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि वादी के नाना नत्थु पुत्र छीतर का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करें

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी,
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़

[illegible] वादी का पिता भम्बल था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा वादी